राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–80/2025

सविता चौधरी

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर, राज.।
3. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर, राज.।
4. प्रधानाचार्य, श्री कल्याण राजकीय बालिका महाविद्यालय, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा एवं श्री मंगल सैनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2024 के द्वारा एक माह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य निष्पादन के लिए श्री कल्याण राजकीय बालिका महाविद्यालय, सीकर से राजकीय कृषि महाविद्यालय, तारानगर में पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसकी पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.01.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ एक माह के लिए पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। कार्यव्यवस्थार्थ के तौर पर स्थानांतरण किया जाना नियम–विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किय गया है,

जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नियोक्ता का अधिकार है कि वह अपने किसी भी कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकता में किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकता है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते हैं कि प्रथम दृष्टया स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो कार्यव्यवस्थार्थ के रूप में एक माह के लिए किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.12.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.01.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को श्री कल्याण राजकीय बालिका महाविद्यालय, सीकर में ही पदस्थापित रखा जायें। भविष्य में प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)